

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,  
अजमेर 305002



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002

संख्या : राज/चित्तौड़/चूप-08/खंड-II

दिनांक : 01.02.2019

प्रेषित : खान एजेण्ट  
आदित्य चूना पत्थर खदान  
मैसर्स अल्टाटेक सीमेंट लि.  
पोस्ट-आदित्यपुरम, वाया-शम्भूपुरा,  
जिला-चित्तौड़गढ़-312622(राजस्थान)

विषय : राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित आपकी आदित्य चूना पत्थर खदान क्षेत्रफल 760.692 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.01.2019 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>Mining operations are not being carried out in accordance with the Mining Plan approved on 20.11.2013 to the extent indicated below:-</p> <p>(i) Pit-1A, development of II<sup>nd</sup> bench with floor RL of 426 was proposed. Instead of that two benches i.e. II<sup>nd</sup> &amp; III<sup>rd</sup> with floor RL of 417 have been developed.</p> <p>(ii) Pit-2, between 84 to 91, it was proposed to development upto 3<sup>rd</sup> bench with floor RL 417, instead of that development upto V<sup>th</sup> bench with floor RL 399 has been carried out.</p> <p>(iii) Pit-2A, It was proposed to develop II<sup>nd</sup> bench with floor RL 426, instead of that development upto IV<sup>th</sup> bench has been carried out.</p> <p>(iv) In star rating template blending of 1265000 tonne of reject/subgrade has been given. But neither it was proposed in the approved mining plan nor given in the Annual return of 2017-18.</p>
45(7)	<p>In the Annual Return of the year 2017-18, following discrepancies observed:</p> <p>a) Part-V-3( Reserve &amp; Resources)- In the approved mining plan, 18.00 Mill. Tonne has been given under Cat 333. But in return it is given as Zero.</p> <p>b) Part-V-4.2(Open cast)- Total quantity of OB/Waste removed during the year is not given.</p> <p>c) Information in Part-VI (Production, Dispatch)- The limestone dispatched during the year is given as 9124410 tonne. The rate of royalty as given under item VII is Rs.80.16./ tonne. With this rate the royalty amount comes out about Rs.731412705.6, but the royalty paid figure given in Part-III is Rs.718900000. This is Rs.12512705.6 less than the actual amount.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

( डॉ.ए.जेड.खान )  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो